

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Consumer Protection Bill, 2018.

श्री राम विलास पासवान : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिए और उससे संबद्ध या आनुऐंगिक विऐयों के लिए उपबंध करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection of the interests of consumers and for the said purpose, to establish authorities for timely and effective administration and settlement of consumers’ disputes and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री राम विलास पासवान : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।